लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक / स्था.2 / एच / शा.शि. / 1 / 2009-10 / / 1252

भोपाल, दिनांक 5 / 08 / 2010

:: आदेश ::

व्यायाम निर्देशक (उच्च वेतनमान) एवं जिला कीडा एवं कल्याण निरीक्षक पद से व्याख्याता शारीरिक शिक्षा के पद पर पदोन्नति हेतु सम्पन्न पुनरीक्षित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 12.07.10 में निम्नांकित व्याख्याता शारीरिक शिक्षा के पद पर वेतनमान रू. 5500-175-9000 में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी एवं स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया जाता है :-

स. क.	संवर्ग में नियुक्ति दिनांक	लोक सेवक का नाम	लोक सेवक का आई कोड	वर्तमान संस्था का नाम	वर्तमान संस्था का डाइस कोड	जाति संवर्ग	पदांकित संस्था
1	2	3	4	5	6	7	8
1	29/09/94	श्री प्रकाश चंद्र फाटक	BN2906	कार्या.जि.शि. अधि. धार	—	सामान्य	शास. तात्याटोपे राज्य शारीरिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण महाविद्यालय शिवपुरी जिला शिवपुरी
2	5/10/94	श्री जगदीश चंद्र मकवाना	AI7801	डाइट धार	232504IDS01	अपिवर्ग	शास. तात्याटोपे राज्य शारीरिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण महाविद्यालय शिवपुरी जिला शिवपुरी
3	22/01/95	श्री आर.के. पालीवाल	AM7415	शा.मालव क. उ.मा.वि. इंदौर	23260177725	सामान्य	शास. तात्याटोपे राज्य शारीरिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण महाविद्यालय शिवपुरी जिला शिवपुरी
4	27/01/95	श्री शंकर सिंह ठाकुर	AM3430	शा.बा.उ.मा.वि. संयोगितागंज इंदौर	23260177722	सामान्य	शास. तात्याटोपे राज्य शारीरिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण महाविद्यालय शिवपुरी जिला शिवपुरी
5	31/03/99	श्री दीपक राज	PI4063	कार्या.जि.शि. अधि. रतलाम	—	अजजा	शास. तात्याटोपे राज्य शारीरिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण महाविद्यालय शिवपुरी जिला शिवपुरी
6	31/03/99	श्री किशन लाल मेहरा	AQ7859	कार्या.जि.शि. अधि. मंदसौर	—	अजा	शास. तात्याटोपे राज्य शारीरिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण महाविद्यालय शिवपुरी जिला शिवपुरी

2/ **उपरोक्त पदोन्नति निम्नांकित शर्तो के अधीन रहेगी :-**

2.1 पदोन्नत लोक सेवक के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी / संस्था प्रमुख संबंधित के सेवा अभिलेख से यह पुष्टि कर लें कि व्यायाम निर्देशक (उच्च वेतनमान) / जिला कीडा एवं कल्याण निरीक्षक के पद से पदोन्नति हेतु अनुशंसा की गई है वह शारीरिक शिक्षा मे स्नातक उपाधी अथवा डिप्लोमा होना चाहिए तथा जिस प्रवर्ग से पदोन्नति हेतु अनुशंसा की गई है उसी प्रवर्ग का सदस्य होना चाहिए । इसके अतिरिक्त उनकी वरिष्ठता तिथि पदोन्नति हेतु अनुशंसित आदेश में अंकित वरिष्ठता दिनांक के अनुरुप ही होना चाहिए।

2.2 पदोन्नति हेतु अनुशंसित लोक सेवक के सेवा अभिलेख से इस बात की पुष्टि कर ली जायें कि वे सभी व्यायाम निर्देशक (उच्च वेतनमान)/जिला कीडा एवं कल्याण निरीक्षक पद पर ही कार्यरत हैं और उनकी पदोन्नति हेतु अनुशंसा व्यायाम निर्देशक(उच्च वेतनमान)/जिला कीडा एवं कल्याण निरीक्षक की वरिष्ठता के आधार पर ही हुई हैं।

2.3 पदोन्नति हेतु अनुशंसित लोक सेवक के सेवा अभिलेख से यह भी पुष्टि कर ली जाए कि वह स्कूल शिक्षा विभाग का ही व्यायाम निर्देशक (उच्च वेतनमान)/जिला कीडा एवं कल्याण निरीक्षक है। अन्य विभाग यथा आदिम जाति कल्याण विभाग/तकनीकी शिक्षा विभाग आदि के नहीं । यदि स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिवासी विकास विभाग के परस्पर हस्तांतरण संस्थाओं के लिए म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश कमांक एफ-44-27/94/ 20-2 दिनांक 03.01.06 के अंतर्गत विभाग में मूल वरिष्ठता सहित संविलियन किया गया है और पदोन्नत किया गया है, तो वह पदोन्नति का हकदार होगा तथा उसे कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। आदिवासी विकास विभाग से शिक्षा विभाग में जिन लोक सेवकों का संविलियन किया गया है उनकी वरिष्ठता की पुष्टि उनके सेवा अभिलेख एवं सुसंगत संविलियन आदेशों से कर ली जावें । ऐसी विसंगति की स्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत करावें।

2.4 ऐसे लोक सेवको का अर्न्तविभागीय स्थानान्तरण हुआ हो तो उन व्यायाम निर्देशक (उच्च वेतनमान) की वरिष्ठता शिक्षा विभाग में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मान्य होगी। यदि किसी पदोन्नत लोक सेवक के संबंध में उपरोक्त शर्त की पूर्ति नहीं होती है तो उनकी पदोन्नति निरस्त करने संबंधी प्रस्ताव अभिलेखित साक्ष्य सहित संचालनालय को भेजा जावे ।

2.5 मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्र. एफ 7-18/2005/आ0प्र0/ एक, दिनांक 05.08.05 एवं 17.08.05 के द्वारा यह अवगत कराया गया है कि कीर, मीना एवं पारधी जाति को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सूची से विलोपित कर दिया गया है । अतः संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख उक्त पदोन्नति हेतु अनुशंसित लोकसेवको के अभिलेख से पुष्टि कर लें तभी पात्र पदोन्नति हेतु अनुशंसित लोक सेवक माना जावेगा ।

2.6 श्री आर.के.पालीवाल की पदोन्नति माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में विचाराधीन याचिका कमांक-3797/2009 में पारित निर्णय के अध्यधीन रहेगी ।

2.7 पदोन्नति समिति द्वारा म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के राजपत्र दिनांक 6 जुलाई 2002 में दिये गये मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 में उल्लेखित आरक्षण प्रावधानों का पालन किया गया है।

2.8 पदोन्नत व्याख्याता 16 अगस्त 2010 तक अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति पदांकित संस्था में देवें अन्यथा पदोन्नति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी ।

"प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार"

आयुक्त लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश

पृष्ठां. कमांक / स्था.2 / एच / शा.शि. / 1 / 2009–10 / / 253

प्रतिलिपिः–

भोपाल, दिनांक 5 / 08 / 2010

1. निज सचिव, मान.मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
3. आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र पुस्तक भवन अरेरा हिल्स, भोपाल।
4. जिला–कलेक्टर शिवपुरी मध्यप्रदेश ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत शिवपुरी मध्यप्रदेश ।
6. सयुक्त सचालक लोक शिक्षण ग्वालियर संभाग ग्वालियर मध्यप्रदेश।
6. जिला शिक्षा अधिकारी जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश ।
7. प्राचार्य, तात्याटोपे शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय शिवपुरी ।
8. सबंधितो की ओर सूचनार्थ ।

आयुक्त लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश